में जारी हुए

4.4.19 वकील उभयपक्ष उप० / गवाह उप० नहीं है / वकील वादी साक्ष्य कराने हेतु पुनः समय चाहते हैं / न्यायहित में इन्हें एक अवसर और दिया जाता है / वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 22.4.19 को पेश हो /

22.4.19 वकील उभयपक्ष उप० / गवाह उप० नहीं है / वास्ते साक्ष्य वादी पत्रावली दि० 11.7.19 को पेश हो

11.7.19 वकील उभयपक्ष उप० / वकील वादी ने NO INSTRUCTION किया है / पत्रावली आगामी कार्यवाही हेतु दि० 31.7.19 को पेश हो /

no order

31.7.19 पत्रावली पेश हुई / वकील ~~वादी~~/प्रतिवादी/ ~~अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ उपस्थित है/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर है/अन्य कार्यों में व्यस्त है/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10.7.19 को पेश हो।

रीडर

10.7.19 पत्रावली पेश हुई / वकील वादी एवं स्वयं वादी उप० नहीं है / वकील प्रतिवादीगण उप० है कई बार आवाज दिलाने पर भी वकील वादी एवं स्वयं वादी उप० नहीं हुए है अतः वादी का दावा अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जाता है पत्रावली कैशल शुमार होकर नम्बर से कम है एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो /

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2020.01.15 11:43:34 IST
Reason: SelfAttested